

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2016

विषय:—नगर विकास विभाग/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों
में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-399/नौ-5-
2016-265सा/2015 दिनांक 24.02.2016 एवं तत्कम में इस विभाग द्वारा निर्गत
शासनादेश संख्या-752/69-1-2016-14(85)/2015 दिनांक 21.03.2016 तथा स्मरण
पत्र संख्या-वीआईपी-190/69-1-2016-14(85)/2015 दिनांक 01.06.2016 का कृपया
सन्दर्भ ग्रहण करें। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सम्बन्धित निकायों
के अध्यक्षों/परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अभी तक पुराने शिलापट न तो हटाये गये
हैं और न ही नये शिलापट लगाने में तेजी बरती जा रही है।


2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश का
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की
स्थिति में सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने
हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1630/69-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर
प्रदेश को उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।